तदर्थ न्यायाधीश (Adhoc judges) → Art. 127

→ केवल S. Court में नियुक्त किये जाते हैं।

→ नियुक्ति S. Court के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद।

→ जब S. Court का सत्र/अधिवेशन (session) चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कमी होती है, तब S. Court में इनकी नियुक्ति की जाती है।

⇓

जब गणपूर्ति (Quorum) पूरी न हो।

⇒ ऐसे किसी भी H. Court के Judge को जिसके पास S. Court का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।

न्यायाधीशों की पदावधि / कार्यकाल

Tenure of judges → Age of 65 years / 65 वर्ष की आयु (Maximum Age) अधिकतम आयु

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

→ न्यायाधीशों को हटाये जाने की प्रक्रिया

Removal Process of Judges ⇒ Art. 124(4) → आधार (Grounds) – ① सिद्ध कदाचार Proved Misbehaviour
② असमर्थता (Incapacity)

→ हटाने का प्रस्ताव (Motion) संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। (either House of Parliament)

प्रस्ताव (Motion)

ex. → RS में पेश (Introduced in RS)
→ RS में चर्चा (Debate in RS)
→ RS में विशेष बहुमत / 2/3 बहुमत से पारित (Pass)
↳ (LS) - ① पेश ② चर्चा ③ 2/3 बहुमत से पारित
↓
President → Signature (हस्ताक्षर) के बाद जज हट जायेगा।

→ इसी तरीके से → H. Court के Judges को
→ CAG को
→ Chief election Commissioner
→ State election Commissioner
को इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है।

Art. 124(6) → S. Court के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलायी जाती है।
→ इनकी शपथ का प्रारूप (Draft of oath) अनुसूची (schedule-3) में है।

वेतन, पेंशन ⇒ भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
Payed from consolidated fund of India.

→ मुख्य न्यायाधीश (chief justice) → 2,80,000 रु०/प्रति माह (Per Month)
→ अन्य " (other ") → 2,50,000 रु०/ " " " "

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Justice)

भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य (Plead or act) नहीं कर सकता है,* [(अनु. 124 (7)]

Cannot plead or act before any court or authority in India,* [(Article 124 (7)]

उच्चतम न्यायाल की शक्तियां (Powers of S.Court)

Art. 32 → मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करना। → S.Court

Art. 226 → " " " " " " " " → H.Court

⇒ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल S.Court को है।

⇒ संविधान का संरक्षक S.Court है।

⇒ Art.129 → S.Court ⇒ Court of Record (अभिलेख न्यायालय)

Art.215 → H.Court ⇒ " " " (" ")

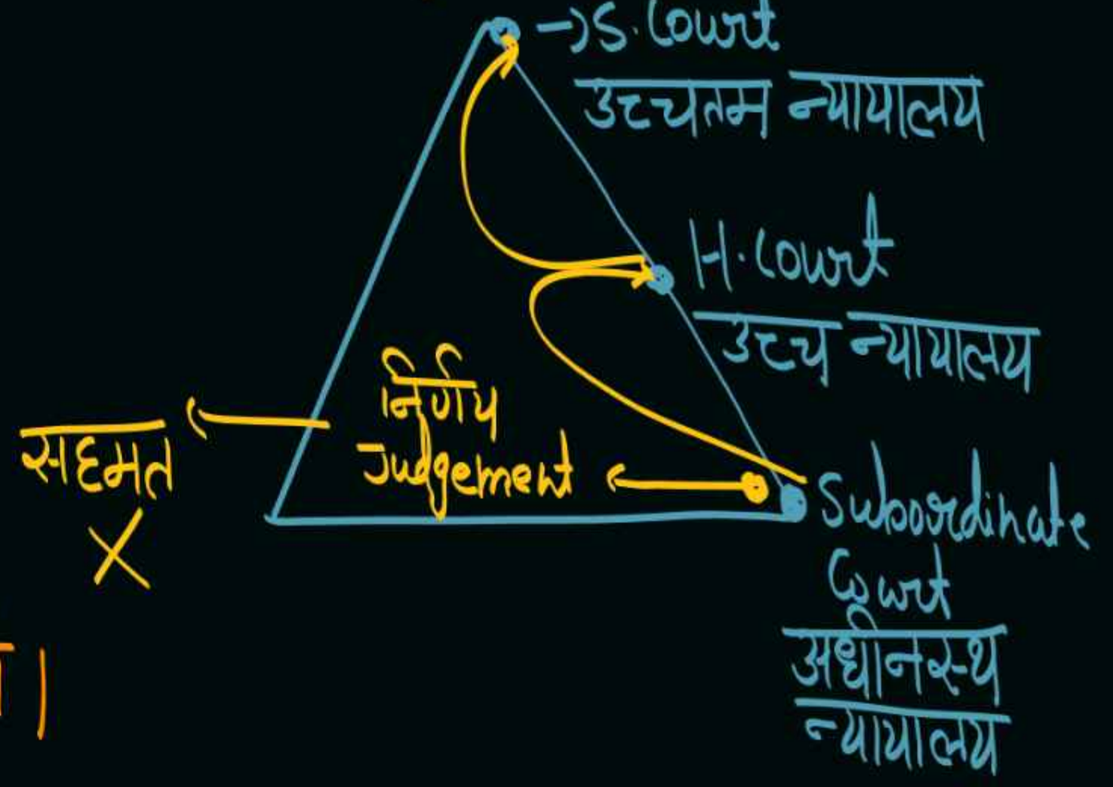
⇒ भारत में केवल Supreme और H.Court ही अभिलेख न्यायालय होते हैं।

⇒ Art.131 ⇒ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) ⇒ S.Court.

↳ ऐसे मामले जिन पर सुनवाई का अधिकार केवल S.Court को होता है, इसमें आते हैं। ex. – ① केंद्र और राज्य के मध्य विवाद (Dispute) ③ केंद्र + राज्य V/s कुछ अन्य राज्यों के मध्य विवाद।
② राज्य और राज्य के मध्य विवाद

अपीलीय क्षेत्राधिकार
Appellate jurisdiction

⇒ अपील करने अंतिम न्यायालय S. Court होता है।



Art. 132 ⇒ संवैधानिक मामलों में अपील
Appeal in Constitutional Matters

⇒ संवैधानिक मामलों में सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य।

Art. 133 ⇒ सिविल मामलों में अपील ✓

Art. 134 ⇒ आपराधिक मामलों में अपील ✓